# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 13/2022

बउनवान

छीतरलाल आयु 78 वर्ष पुत्र गणेशराम जाति बैरवा निवासी ग्राम उण्डा, तहसील बारां जिला–बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक 14.02.2023**

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–उण्डा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.15 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 125/–रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकतरफा उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी ताबान बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त करने की याचना की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी अपीलांट को व्यक्तिगत तामील नही करवायी गयी तथा अपीलाट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम उण्डा की आराजी खसरा नंबर 78 रकबा 0.15 है. किस्म चारागाह पर सरसों बोकर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2022 एवं रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 से साबित होता है। परन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 201/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested